फा.सं.ई-11019/1/2025-हिंदी अनुभाग
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 22 सितंबर, 2025

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय: संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा के दिनांक 25.09.2025 (गुरूवार) को बेंगलूरू में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीस), बेंगलूरू के राजभाषायी निरीक्षण बैठक से पूर्व दिनांक 23.09.2025 को प्रात: 11:00 बजे ब्रीफिंग बैठक के संबंध में।**

संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 08.09.2025 का कार्यालय ज्ञा.सं.-11012/08/2025-समिति (प्रति संलग्न) के अनुसार, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 25.09.2025 (गुरूवार) को बेंगलूरू में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी), बेंगलुरू का राजभाषायी निरीक्षण किया जाना है।

सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार दिनांक 25.09.2025 को बेंगलूरू में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी), बेंगलुरू की राजभाषायी निरीक्षण बैठक में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के वरिष्ठ अधिकारी (जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया जाना है। इस संबंध में, समिति की उक्त राजभाषायी निरीक्षण बैठक से पूर्व दिनांक 23.09.2025 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में प्रात: 11:00 बजे **(हायब्रिड मोड)** ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जानी है।

कृपया समिति की निरीक्षण बैठक में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीस), गुरूग्राम के अधिकारी/कार्मिक उक्त ब्रीफिंग बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

संगीता 22.09.2025
(संगीता टी.)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

**सेवा में,**

1. संबंधित अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. संबंधित अधिकारी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी),
3. **अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग से अनुरोध है कि दिनांक 23.09.2025 को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक सम्मेलन कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।**
4. एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (लिंक क्रिएट करने के अनुरोध सहित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
2. उप-निदेशक (रा.भा.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।